रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2026] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2016/श्रावण 21, 1938
No. 2026] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2016/SRAVANA 21, 1938

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2016

का.आ. 2705(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय घोषणा स्कीम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय घोषणा स्कीम (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल नियमों के नियम 4 में, उपनियम (5) में, "संदाय के सबूत के प्रस्तुत" शब्दों के पश्चात् "पूर्ण और अंतिम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल नियमों में, प्ररूप-2 में, सारणी के पश्चात् आरंभिक भाग के लिए "घोषणाकर्ता को उपरोक्त स्तंभ (5) के अनुसार संदेय रकम का संदाय 30 नवंबर, 2016 को या उससे पहले करने का निदेश किया जाता है" और अंतिम भाग "शब्द उसे कभी नहीं किया गया समझा जाएगा" निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"घोषणाकर्ता को उपरोक्त स्तंभ (5) के अनुसार संदेय की रकम यथा विनिर्दिष्ट नीचे निदेश दिया जाता है:--

(i) 30 नवंबर, 2016 को या पूर्व संदेय की राशि पच्चीस प्रतिशत से अन्यून की रकम ;

(ii) 31 मार्च, 2017 को या पूर्व उपर्युक्त खंड (i) के अधीन संदत्त रकम द्वारा यथा कम की गई संदेय राशि का पचास प्रतिशत से अन्यून की रकम ;

(iii) 30 सितंबर, 2017 को या पूर्व उपर्युक्त खंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन संदत्त रकम से यथा कम की गई, के रूप में संदेय राशि का पूर्ण ।

यथाविनिर्दिष्ट उपर्युक्त रकम के असंदाय के मामले में, प्ररूप-1 के अधीन घोषणा को शून्य माना जाएगा और उसे कभी नहीं किया गया समझा जाएगा ।"।

4. मूल नियमों में प्ररूप-3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187 की उपधारा (1) के अधीन संदाय की सूचना

आय घोषणा स्कीम, 2016

प्ररूप 3

[नियम 4(4) देखें]

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

....

महोदय/महोदया,

1. प्ररूप 2 में प्रमाणपत्र फा.सं. .... तारीख ....द्वारा आपसे प्राप्त अभिस्वीकृति के अनुसरण में किए गए संदाय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क. 30 नवंबर, 2016 को या पूर्व किया गया संदाय

क्रम सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख *(दिन/मास/वर्ष)*	चालान क्रम संख्या*	रकम (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**ख. 30 नवंबर, 2016 के पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2017 को या पूर्व किया गया संदाय

क्रम सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख *(दिन/मास/वर्ष)*	चालान क्रम संख्या*	रकम (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**ग. 31 मार्च, 2017 के पश्चात् किंतु 30 सितंबर, 2017 को या पूर्व किया गया संदाय

क्रम सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख *(दिन/मास/वर्ष)*	चालान क्रम संख्या*	रकम (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**घ. स्रोत पर संग्रहित स्रोत/कर पर कटौती कर के लिए प्रत्यय दावे ब्यौरे

क्रम सं.	कटौतीकर्ता/संग्रहणकर्ता का टैन या स्थावर संपत्ति के विक्रय के मामले के क्रेता का पैन	कटौतीकर्ता/संग्रहणकर्ता का नाम	टीडीएस/टीसीएस प्रमाणपत्र संख्या	कटौती/संग्रहण का वित्त वर्ष	टीडीएस / टीसीएस की रकम जिसके लिए प्रत्यय दावा किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*संदाय/टीडीएस/टीसीएस के संदाय का सबूत प्रमाणपत्र निम्नानुसार है :

<u>सत्यापन</u>

मैं..................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता हूं कि टीडीएस/टीसीएस से संबंधित आय, जिसके लिए प्रत्यय का दावा किया गया है, प्ररूप-1 में घोषित आय में सम्मिलित की गई है और ऐसे टीडीएस/टीसीएस के प्रत्यय का दावा पहले नहीं किया गया है । मैं और घोषणा करता हूं कि मैं .... (घोषणाकर्ता का नाम).................. (पदनाम) की हैसियत से सूचना प्रस्तुत करता हूं । मैं उक्त सूचना देने के लिए सक्षम हूं और सत्यापित करता हूं ।

स्थान: ……………..

…………………

हस्ताक्षर

तारीख: …………….. ……………………..

घोषणाकर्ता का पता

……………………………

घोषणाकर्ता का पैन

टिप्पण : **जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप को स्कीम अर्थात् 30.11.2016, 31.03.2017 और 30.09.2017 के अधीन संदाय के लिए अधिसूचित तारीखों को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाना है ।"।

[अधिसूचना सं. 70/2016, फा.सं.142/8/2016-टीपीएल]

डॉ. टी.एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, का.आ. 1831(अ), तारीख 19 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. का.आ. 2477(अ), तारीख 20 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किए गए ।